बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक मई 2015

पत्र संख्या–1/एल01–10–08/2012 गृ0आ0 /श्री परेश सक्सेना, भा0पु0से0 (1994), पुलिस महानिरीक्षक, बिहार गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली–1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक दिनांक 20.05.2015 से 03.07.2015 तक कुल 45 (पैंतालीस) दिनों की उपार्जित अवकाश एवं दिनांक 04 एवं 05 जुलाई, 2015 को घोषित राजपत्रित अवकाश उपभोग की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री सक्सेना के अवकाश अवधि में श्री सतीश कुमार, पुलिस उप–महानिरीक्षक, बिहार गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना अपने कार्यों के अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक, बिहार गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना के प्रभार में रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(कौशलेन्द्र पाठक)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–1/एल01–10–08/2012 गृ0आ0 /पटना, दिनांक मई, 2015

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–1/एल01–10–08/2012 गृ0आ0 /पटना, दिनांक मई, 2015

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/ सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–1/एल01–10–08/2012 गृ0आ0 3506 /पटना, दिनांक 20 मई, 2015

प्रतिलिपिः– अवर सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ श्री परेश सक्सेना, भा0पु0से0 (1994), पुलिस महानिरीक्षक, बिहार गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना / श्री सतीश कुमार, पुलिस उप–महानिरीक्षक, बिहार गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना /आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/5/2015

सरकार के अपर सचिव।